न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या —20 / 2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्रीमती मोहनीदेवी पत्नी कन्हैयालाल 2. किशोर पुत्र कन्हैयालाल जातियान जाट निवासीगण पड़ासला कलॉ तहसील बिलाड़ा		1. रूघाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी पड़ासला कलॉ, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः— वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या—1 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या—2 की ओर से सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक** 17/1/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पड़ासला कलॉ तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 242 रकबा 7 बीघा किस्म बारानी द्वितीय स्थित है। उक्त भूमि वादीगण की खातेदारी की है। वादीगण रेकर्डेड खातेदार होने से जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 नकल वाद के साथ संलग्न है। वादीगण उपरोक्त खसरा नम्बर 242 रकबा 7 बीघा भूमि पर शुरू से यानि पीढियों से मौके पर भौतिक कब्जा काश्त करते आ रहे है। आज दिन भी मौके पर वादीगण द्वारा फसल को बोया है। उपरोक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

का किसी प्रकार से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हक या अधिकार निहित नही है किन्तु फिर भी प्रतिवादी आपसी षडयन्त्र द्वारा वादीगण की पैतृक व पुश्तैनी कब्जा व काश्त की रेकर्डेड खातेदारी की कब्जा काश्तसुदा भूमि को येनकेन प्रकारेण जबरन गैर कानूनी रूप से हड़पने बाबत् व नष्ट करने बाबत् पूर्णरूप से प्रयत्नशील है। इस उदेश्य से प्रतिवादी को वादी को अपनी उक्त खातेदारी की कब्जासुद कृषि भूमि से वादीगण द्वारा चने की फसल काटकर ले जाने में भी भंयकर विघ्न पैदा करने का प्रश्न पैदा कर रहे है। वादी संख्या 1 विधवा औरत है एवं गरीब व्यक्ति है जिसका नाजायज फायदा उठाने के दृष्टिकोण से प्रतिवादी इस प्रकार की गैर कानूनी कृत्य कर रहे है एवम् वादीगण को हानि पहुॅचाने का एवम् वादीगण की भूमि हड़पने का प्रयत्न कर रहे है। अभी दिनांक 01.03.2020 को वादीगण अपनी उपरोक्त कृषि भूमि पर मौके पर चने की फसल को अवेर कर रहे थे तब प्रतिवादी कुछ अन्य व्यक्तियों को साथ लेकर मौके पर आये तथा वादीगण को धमकी दी कि इस वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी हर संभव जबरन कब्जा कर लेगा और वादीगण को मौके पर से बेदखल कर देगा अथवा वादीगण की उपरोक्त भूमि पर खड़ी फसल को वादीगण को नही ले जाने देगे अथवा वादीगण की यह कृषि भूमि ही पूर्ण रूप से नष्ट कर देंगे। इसलिए वादीगण को यह वाद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हो गया है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्त में दावा पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो ग्राम पड़ासला कलॉ तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 242 रकबा 7 बीघा (1.1326 हैक्टेयर) में वादीगण के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल या बाधा उत्पन्न करे तथा न ही अपने परिवार के अन्य सदस्य, एजेन्ट, मजदूर आदि से किसी प्रकार की दखल या बाधा उत्पन्न करावे तथा न ही प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की खातेदारी की भूमि के किसी भी भाग पर काश्त आदि कार्य नही करे।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या–1 ने जवाब दावा पेश नही किया इस कारण प्रतिवादी संख्या–1 का जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या–2 प्रफोर्मा पक्षकार होने के कारण जवाब बंद किया गया। इस कारण उक्त राजस्व वाद में तनकीयात की आवश्यकता नही होने से पत्रावली को साक्ष्य वादी हेतु मुकर्रर किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 ने वादी से कोई जीरह नही की गयी है। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता के विरोधाभाषी तर्को पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह तथ्य सामने आया कि ग्राम पड़ासला कलां की भूमि खसरा नम्बर 242 रकबा 7 बीघा (1.1326 हैक्टेयर) के वादीगण रेकर्डेड खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 का विवादग्रस्त भूमि से कोई सम्बंध नही है। प्रतिवादी के नाम की कोई जमाबन्दी नही है। विवादित मामले में रेकर्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाने का कानूनन अधिकारी होता है। विवादित भूमि वादीगण की रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई निर्णय नजीरों में प्रतिपादित किया है कि विवादित सम्पति की सुरक्षा के लिए निवारक अनुतोष के रूप में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है। स्थायी निषेधाज्ञा का दावा केवल रेकर्डेड खातेदार ही ला सकता है। वादीगण विवादित भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। इस कारण रेकर्डेड खातेदार के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

है। शंकरराम के उतराधिकारी उसके चार पुत्र अणदाराम, अमराराम, कैलाशचन्द्र, रखाराम है, जिनमें से अमराराम व रखाराम फौत हो चुके है। अमराराम के देहान्त के बाद उसकी पत्नी श्रीमती शांतिदेवी ने अणदाराम के साथ नाता विवाह कर लिया। अमराराम के अन्य कोई वारिशान नही है। रखाराम लाऔलाद फौत हो चुका है। इसी प्रकार चिमनाराम के उतराधिकारी उसकी पत्नी गवरी तथा दो पुत्रिया नाथी, संतोष है। इसी प्रकार मोतीराम के उतराधिकारी उसका पुत्र कुनाराम तथा पत्नी भूण्डकी है। इसी प्रकार प्रतापराम पुत्र किशनाराम के तीन पुत्र चौथाराम, पेमाराम, लादूराम है, जिनमें से पेमाराम व लादूराम फौत हो चुके है। पेमाराम के उतराधिकारी उसकी पत्नी चन्दूदेवी तथा दो पुत्र सायरमल, ललीत तथा दो पुत्रिया पपीया, छोटीदेवी है। लादूराम लाऔलाद फौत हो चुका है। इसी प्रकार घीसाराम पुत्र जालाराम का उतराधिकारी उसका पुत्र कन्हैयालाल है, कन्हैयालाल का देहान्त दिनांक 20.11.2018 को हो चुका है। कन्हैयालाल के उतराधिकारी उसकी पत्नी श्रीमती मोहनी व पुत्र किशोर है। कन्हैयालाल के वादीगण के अलावा अन्य कोई वारिशान नही है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का इस भूमि में सयुक्त का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 से 14 का सयुक्त रूप का 1/3 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 1 से 2 का 1/3 हिस्सा होता है। वादी संख्या 1 के ससुर व वादी संख्या 2 के दादा घीसाराम तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के पिता शंकरराम तथा प्रतिवादी संख्या 3 के पति व प्रतिवादी संख्या 4 से 5 के पिता चिमनाराम तथा प्रतिवादी संख्या 6 के पिता व प्रतिवादी संख्या 7 के पति मोतीराम तथा प्रतिवादी संख्या 8 रूघाराम तथा प्रतिवादी संख्या 9 के पिता व प्रतिवादी संख्या 10 के ससुर व प्रतिवादी संख्या 11 से 14 के दादा प्रतापराम ने अपने सयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 286 रकबा 4 बिस्वा के भू भाग पर एक शामलाती कुआ को खुदवाया एवं कुआ में से पानी निकालने हेतु सिचाई के उपकरण स्थापित किये। इस प्रकार शामलाती कुआ से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 14 अपने अपने काश्त की भूमि पर सिचाई आदि का कार्य करते है। अतः खसरा नम्बर 286 रकबा 4 बिस्वा की सयुक्त खातेदारी की भूमि में तथा उसमें खुदे हुए कुआ में वादीगण का 1/3 हिस्सा तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 9 से 14 का है, जो वादीगण अपने हिस्से की

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज होने के कारण उनके पक्ष में मामला बनता है तथा अगर स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की गयी तो वादीगण को अपूर्णनीय हानि होगी और वह खेती करने से महरूम हो जायेंगे। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण श्रीमती मोहनी देवी वगैराह की ओर से प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

आदेश

अतः वादीगण श्रीमती मोहनी देवी वगैराह का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम पड़ासला कलां, तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 242 रकबा 7 बीघा (1.1326 हैक्टेयर) में वादीगण के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल, हस्तक्षेप करे एवं न ही अन्य किसी से करावे तथा न ही वादीगण की खातेदारी भूमि के किसी भी भाग पर निर्माण अथवा काश्त आदि कार्य करे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 17/1/2023 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी

1. श्रीमती मोहनीदेवी पत्नी कन्हैयालाल
2. किशोर पुत्र कन्हैयालाल

जातियान जाट निवासीगण
पड़ासला कलॉ तहसील बिलाड़ा

बनाम

प्रतिवादी

1. रूघाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी पड़ासला कलॉ, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 20/2020 दिनांक :– 17/1/2023

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम पड़ासला कलां, तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 242 रकबा 7 बीघा (1.1326 हैक्टेयर) में वादीगण के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल, हस्तक्षेप करे एवं न ही अन्य किसी से करावे तथा न ही वादीगण की खातेदारी भूमि के किसी भी भाग पर निर्माण अथवा काश्त आदि कार्य करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/1/2023 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			वजह सबूत महनताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर० तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो या नही, दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा